



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1205]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2017/वैशाख 8, 1939

No. 1205]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2017/VAISAKHA 8, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2017

**का.आ. 1365(अ).**—प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2991 तारीख 2 नवम्बर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई टीका टिप्पणियां/आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, बरदा वन्यजीव अभयारण्य गुजरात के पोरबन्दर, जामनगर और देवभूमि द्वारका जिलों में 21°40' उत्तर और 21°55' उत्तर के बीच अक्षांश तथा 69°40' पूर्व और 69°55' पूर्व देशान्तर के बीच 192.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

और, बरदा वन्यजीव अभयारण्य जैव-विविधता संपन्न और संघन क्षेत्र है जो चारों ओर से अच्छी गुणवत्ता वाले शुष्क पर्णपाती विविध जंगल, सूखी कांटा जंगल, झाड़ी भूमि और आर्द्रभूमि जंगल जिनके बीच में बांस के झुण्ड पाए जाते हैं, से घिरा हुआ है और यह अभयारण्य में संपन्न जैव विविधता जिसमें की 430 जैनरा की 759 प्रजातियों के वृक्ष, जड़ी बूटी, झाड़ी और बेल, 22 स्तनपायी प्रजातियां, 26 सरीसृपों की प्रजातियां, 4 उभयचर की प्रजातियां, 55 तितली की प्रजातियां और कीड़े की 3000 से ज्यादा प्रजातियाँ तथा पक्षियों की 269 प्रजातियों से अधिक प्रजातियां पायी जाती हैं ;

और, अभयारण्य में मुख्य वनस्पतियों में सीताफल (*अन्नोनास्क्यूअमोसा*), उमदा (*मीलिउसा टोमेनटोसा*) अशोक (*पोलयालथीअ लोनगीफोलीआ*), वेनीवेल (*कस्सीअमपेलोस पेरेइरा लीन्न*), वेवदी, वेवदी (*कोकक्यूलूस हीरसूटस*), ओरप, परवत (*कोकक्यूलूस पेनडूलूस*), करीपत(*साइक्लापेलट्टा*), गलो वेल (*टीनोसपोरा गलाबरा*), पोयनू, कामा (*नयमफाइअ पूबेसकेनस*), दारूदी (*अरगेमोने मेक्सइक्रा लोन्न*), हालीम, आशाल (*लेपिड इयम सटीवोम लिन्न*), खुरदु (*कादाबा फरूटीकोसा*), घुटी,थीकार (*काप्पराइस ग्राराडीस लीन्न*),कानथारो (*कप्पराइस सेपीराइ लीन्न*), टनमनी (*कलेओम गयानदरा*), बेथी तालवन तलवान (*कलेओमे सीमपलीकफलीआ*), पीली तलवान, (*क्लेमे विस्कोसा लिन*), वनों, वायवर (*क्रेटा टेपिया*), डोलो कटकीया (*मायरुआ ओब्लिगोफोलिया*), लोदी (*लाप्लाकोर्टिया इंडिका*), पिली भोसान (*पाँलीगला चिनेंसिस लिन*) और मुख्य जीव है नीलगाई (*बोसेलफास्ट्रेगोकमम*), जंगली बोअर (*सुस्कौफा*) , लघु भारतीय सिवेट (*वीवरिकुलेनडिका*), कॉमन मोंगोज (*हर्पेस्टेसेडेडर्सि*), स्ट्रिप्ड हैनना (*हेना हैना*), वुल्फ (*कैनिस ल्यूपस*), जैकल (*कैनसेशूरस*), इंडियन फॉक्स (*वुल्प्सबैंगलेंसिस*), रटल (*मेल्लिवोरैकैपेंसिस*), तेंदुआ (*पेंथेरापार्दस*), जंगल कैट (*फेलिशॉस*), इंडियन हरे (*लेपसनीग्राकोलिस*), पांच-धारीदार पाम गिलहरी (*फ्रिनमबुलुसपेनान्ति*), पोर्कूपीन (*हाइस्ट्रीक्सिन्दिका*), स्पिनी फ्रील्ड माउस (*मुस्लटाइट्रिक्स*), हाउस रट (*रात्सट्रैटस*), कॉमन लांगुर (*प्रेस्विटीस इन्टलस*) इत्यादि;

और, बरदा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, संरक्षित पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में तथा बरदा वन्यजीव अभयारण्य के आनुवांशिक संसाधनों को सुधारने एवं उनका संरक्षण करने के उद्देश्य से वास प्रबंधन, प्रजनन कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय प्रजातियों को पुनस्थापित तथा पुनर्वास, पर्यावरणीय शिक्षा तथा पारिस्थितिक शोध के प्रोत्साहन के द्वारा सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के सक्रियाओं तथा प्रसंस्करणों को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य में बरदा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 4.76 किलोमीटर के चारों ओर तक के विस्तारित क्षेत्र को बरदा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं-(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 65.58 वर्ग किलोमीटर उपांत क्षेत्र में बरदा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 4.76 किलोमीटर तक फैला हुआ होगा।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा का वर्णन उपाबंध I पर उपाबद्ध है और पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र और इसकी सीमा का वर्णन अक्षांश और देशान्तर के साथ उपाबंध II के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भू-मंडलीय स्थित प्रणाली के निर्देशांक के साथ बिन्दुओं की सीमा बरदा वन्यजीव अभयारण्य उपाबंध III के रूप में उपाबद्ध है।

(5) पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले 20 ग्रामों की सूची उपाबंध IV के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना - (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करके आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पर्यावरणीय और पारिस्थितिक बातों को समाकलित करने के लिए राज्य के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि ;
- (iv) राजस्व;
- (v) नगर विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(5) संरक्षित क्षेत्र को सुरक्षित रखने की दृष्टि से राज्य सरकार को संरक्षित क्षेत्र के समीप खनकों से समापन योजना प्राप्त करने की आवश्यकता है और इसमें अन्तर्वलित व्यय कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलाप के अधीन पूरा किया जाएगा। इसकी समाप्ति के पश्चात् कोई आगे खनन पट्टा और नवीकरण राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जाएगा। समापन योजना के आधार पर खनन पट्टे के समापन के पश्चात् क्षेत्र को जैव विविधता पार्कों में संपरिवर्तित किया जाएगा।

(6) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में दक्षता तथा पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(8) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिसके पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

(10) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार में अपने कृत्यों का पालन करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) भू-उपयोग – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के लिए वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और मनोरंजनात्मक प्रयोजनों के लिए अभिनिश्चित खुले स्थानों को मुख्य वाणिज्यिक या मुख्य आवासीय परिसर या औद्योगिक गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा या उनके लिए क्षेत्रों में संपरिवर्तित नहीं किया जाएगा।

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भाग क में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न, प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सुसंगत राज्य विधि के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से अनुज्ञात किया जा सकेगा और यथा लागू केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अन्य नियम जैसे विनियम तथा स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस अधिसूचना के उपबंधों के द्वारा निम्नलिखित किया जा सकेगा जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित ग्रह वास; और
- (v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 7 के अधीन दिया गया है:

परंतु यह और भी कि सुसंगत राज्य विधियों और राज्य सरकार अन्य नियमों और विनियमों के अंतर्गत राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप-पैरा के अधीन यथाउपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में या उनके निकट विकास क्रियाकलापों जो जैसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक है, को प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार करेगा।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन** - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार आंचलिक महायोजना के लिए होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। और वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और सैरगाहों का स्थापन केवल पूर्व परिनिश्चित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट स्वीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी नए होटल/सैरगाह या वाणिज्यिक स्थापन के संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में उनके परिरक्षण तथा संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान भी होगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों के अन्तर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण तत्वों के निस्सारण के लिए सामान्य मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** -- ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान तथा प्रबंधन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;
- (iii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**.- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 343 (अ) तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या जलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन**:- परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल रीति विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) **यानीय प्रदूषण**:- लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए जाने वाले प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि हैं।

(13) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन**:- पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन**:- पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(15) **ई-अपशिष्ट**:- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(16) **औद्योगिक इकाइयां:** - (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद या प्रकाशन पर या उसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 में गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में ऐसी विनिर्दिष्ट न किया जाए। इसके अलावा, गैर- प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण:** - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर उन क्षेत्रों को उपदर्शित करेगी जहां किसी भी संनिर्माण को अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर जिनमें कटाव के एक उच्च डिग्री है, के संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि वह आवश्यक समझती है, इस अधिसूचना के उपाबंधों को प्रभावी करने में अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेगी।

**4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.—**

पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपाबंधों तथा तदाधीन बनाए गए नियमों जिनमें तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय संघात निर्धारण (ईआईए) अधिसूचना, 2006 भी हैं और अन्य लागू विधियां जिनमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) तथा उनमें किए गए भी हैं संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

### सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
<b>क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
(1)	वाणिज्यिक खनन।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानों और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ;  (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडावर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435

		गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी नए या प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति दी जाएगी। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी 2016 सिर्फ गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को वर्गीकरण के अनुसार अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न किया गया हो। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
(3)	बृहत जल विद्युत परियोजना परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(4)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(5)	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र सतही में अनुपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(6)	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल की स्थापना और ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य जलाए जाने की सुविधा।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान की कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचारित/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है। औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य स्थापनों/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भस्मीकरण की सुविधा का अतिरिक्त संस्थापन प्रतिषिद्ध है।
(7)	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(8)	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(9)	ईट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
<b>ख. विनियमित क्रियाकलाप</b>		
(10)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और विश्राम स्थलों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं। परंतु, पारिस्थितिक संवेदी जोन आगे या उसके विस्तार तक, जो भी निकट हो के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का



		विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
(11)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	<p>संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:</p> <p>परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति ऐसे स्थानीय निवासियों को उस रूप में आवासीय आवश्यकताओं के लिए निर्माण उपविधियों के अनुसार दी जाएगी।</p> <p>(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;</p> <p>(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;</p> <p>(iii) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाएं जो पारिस्थितिक पर्यटन, जिस में गृह वास भी है में सहायता देती हो और</p> <p>(iv) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलाप :</p>
(12)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी 2016 में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार श्वेत प्रवर्ग के रूप में माने गए गैर प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित उद्योग जो पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्रियों का उत्पादन करता है सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
(13)	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंहीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।</p>
(14)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(15)	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।

(16)	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(17)	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	भूमिगत केबल को बढ़ावा दिया जाएगा।
(18)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में काटेंदार बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(19)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिःस्त्राव का निस्सारण को जल निकायों में नहीं जाने दिया जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण तथा पुनर्पुयोग के लिए प्रयास की जाएंगी। अन्यथा, उपचारित अपशिष्ट जल/बहिःस्त्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
(20)	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(21)	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग।	विनियमित किए जाएंगे और समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
(22)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(23)	वायु, ध्वनि और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(24)	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(25)	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(26)	सुरक्षा बल शिविर।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(27)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी : परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में 100% आयातित काष्ठ स्टाक उपभोग करने वाले नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना की जा सकेगी।
(28)	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों हेतु पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग हेतु पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे तम्बु, लकड़ी के आवास।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(29)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
<b>ग. संबंधित क्रियाकलाप</b>		
(30)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(31)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(32)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

(33)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(34)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना है।
(35)	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(36)	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(37)	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(38)	निम्नीकृत भूमि या वन या का जीर्णोद्धार।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. **मानीटरी समिति.**—केंद्रीय सरकार के द्वारा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया गया, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:--

- |        |   |              |
|--------|---|--------------|
| (i)    | जिला कलेक्टर, पोरबन्दर  | अध्यक्ष;     |
| (ii)   | क्षेत्रीय अधिकारी, गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पोरबन्दर  | -सदस्य;      |
| (iii)  | क्षेत्र का वरिष्ठ नगर योजनाकार  | -सदस्य;      |
| (iv)   | पर्यावरण एवं वन विभाग, गुजरात सरकार का प्रतिनिधि  | -सदस्य;      |
| (v)    | पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष के लिए नामित एक प्रतिनिधि                                  | -सदस्य;      |
| (vi)   | राज्य सरकार द्वारा प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से परिस्थिति विज्ञान या वन्यजीव या पक्षियों के क्षेत्र से प्रत्येक मामले में तीन वर्ष के लिए नामित एक विशेषज्ञ | -सदस्य;      |
| (vii)  | राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य  | -सदस्य;      |
| (viii) | उप वन संरक्षक (बरदा वन्यजीव अभयारण्य का भारसाधक), पोरबन्दर  | -सदस्य सचिव। |

## 6. निर्देश निबंधन.—

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी

जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपने क्रियाकलापों की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उपाबंध V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/88/2015-ईएस जेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक "जी"

उपाबंध-I

#### क. बरदा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का वर्णन

बरदा पहाड़ियों के बारे में 215 किलोमीटर 2 के एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक का निर्माण होता है जिसमें से 1 9 2 .31 किमी 2 अभयारण्य घोषित किया जाता है। यह अभयारण्य, भंवद तालुक के राजस्व क्षेत्रों के पूर्व में भंवदंद बिलेश्वर गांवों द्वारा दक्षिण में, राणा बरदा और रानवव गांव और पश्चिम में आदित्य और पछटर गांवों द्वारा बसा हुआ है। यह वन क्षेत्र एक बार पूर्वी-ओर की तरफ जाम-जोधपुर के अलेट पहाड़ियों से जुड़ा था।


क. बरदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा विवरण

उत्तर	राजस्व ग्राम सीमा का मोखना ग्राम
उत्तर-पूर्व	राजस्व ग्राम सीमा का मोदपर ग्राम
पूर्व	राजस्व ग्राम सीमा का हनुमानगढ़ और बिलेश्वर
दक्षिण-पूर्व	राजस्व ग्राम सीमा का बोरदी और आशियापट
दक्षिण	राजस्व ग्राम सीमा का रानावाव (सीटी)

दक्षिण-पश्चिम	राजस्व ग्राम सीमा का अदितयाना (सीटी)
पश्चिम	राजस्व ग्राम सीमा का घोधाना
उत्तर-पश्चिम	राजस्व ग्राम सीमा का पचतरदी और रनपार ।

## उपाबंध-II

अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन में बरदा वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र



## उपाबंध-III

सारणी : बरदा वन्यजीव अभयारण्य के सीमा के अक्षांश और देशांतर के प्रमुख स्थान को दिखाया गया मानचित्र

बरदा वन्यजीव अभयारण्य के भू-निर्देशांक				
क्र.सं.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	प्रमुख बिंदुओं के स्थान / निर्देशन	देशांतर (उ) डीएमएस	देशांतर (पू) डीएमएस
1	वन्यजीव अभयारण्य 01	उत्तर	पू 69° 44' 40.277"	उ 21° 53' 7.360"
2	वन्यजीव अभयारण्य 02	उत्तर पूर्व	पू 69° 48' 8.068"	उ 21° 51' 13.965"
3	वन्यजीव अभयारण्य 03	पूर्व	पू 69° 48' 59.382"	उ 21° 47' 40.534"
4	वन्यजीव अभयारण्य 04	दक्षिण	पू 69° 45' 0.743"	उ 21° 42' 42.013"
5	वन्यजीव अभयारण्य 05	दक्षिण पश्चिम	पू 69° 42' 11.512"	उ 21° 44' 15.652"
6	वन्यजीव अभयारण्य 06	पश्चिम	पू 69° 39' 46.836"	उ 21° 47' 15.171"
7	वन्यजीव अभयारण्य 07	उत्तर पश्चिम	पू 69° 42' 14.513"	उ 21° 50' 20.645"
8	वन्यजीव अभयारण्य 08	उत्तर पश्चिम	पू 69° 42' 31.183"	उ 21° 52' 17.784"

सारणी: पारिस्थितिक संवेदी जोन में बरदा वन्यजीव अभयारण्य के सीमा के अक्षांश और देशांतर के प्रमुख स्थान को दिखाया गया मानचित्र

पारिस्थितिक संवेदी जोन में बरदा वन्यजीव अभयारण्य के भू-निर्देशांक				
क्र.सं.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	प्रमुख बिंदुओं के स्थान / निर्देशन	देशांतर (उ) डीएमएस	देशांतर (पू) डीएमएस
1	बरदा पारिस्थितिक संवेदी जोन 01	उत्तर पूर्व	21° 53' 25.007" उ	69° 45' 6.999" पू
2	बरदा पारिस्थितिक संवेदी जोन 02	उत्तर पूर्व	21° 53' 38.419" उ	69° 46' 57.056" पू
3	बरदा पारिस्थितिक संवेदी जोन 03	उत्तर पूर्व	21° 52' 12.604" उ	69° 48' 6.459" पू
4	बरदा पारिस्थितिक संवेदी जोन 04	उत्तर पूर्व	21° 50' 13.422" उ	69° 49' 47.852" पू
5	बरदा पारिस्थितिक संवेदी जोन 05	उत्तर पूर्व	21° 49' 5.138" उ	69° 49' 58.229" पू

6	बरदा पारिस्थितिक संवेदी जोन06	पूर्व	21° 47' 24.764" उ	69° 49' 3.599" पू
7	बरदा पारिस्थितिक संवेदी जोन07	दक्षिण पूर्व	21° 46' 39.634" उ	69° 48' 49.445" पू
8	बरदा पारिस्थितिक संवेदी जोन08	दक्षिण पूर्व	21° 44' 37.441" उ	69° 49' 43.858" पू
9	बरदा पारिस्थितिक संवेदी जोन09	दक्षिण पूर्व	21° 43' 48.850" उ	69° 48' 58.438" पू
10	बरदा पारिस्थितिक संवेदी जोन10	दक्षिण पूर्व	21° 46' 48.044" उ	69° 46' 29.704" पू
11	बरदा पारिस्थितिक संवेदी जोन11	दक्षिण पूर्व	21° 45' 13.691" उ	69° 46' 26.555" पू
12	बरदा पारिस्थितिक संवेदी जोन12	दक्षिण पूर्व	21° 42' 19.484" उ	69° 47' 15.528" पू
13	बरदा पारिस्थितिक संवेदी जोन13	दक्षिण पूर्व	21° 42' 39.783" उ	69° 50' 15.541" पू
14	बरदा पारिस्थितिक संवेदी जोन14	दक्षिण पूर्व	21° 41' 50.107" उ	69° 49' 38.557" पू
15	बरदा पारिस्थितिक संवेदी जोन15	दक्षिण पूर्व	21° 42' 5.371" उ	69° 45' 55.039" पू
16	बरदा पारिस्थितिक संवेदी जोन16	दक्षिण पश्चिम	21° 41' 54.325" उ	69° 43' 55.232" पू
17	बरदा पारिस्थितिक संवेदी जोन17	दक्षिण पश्चिम	21° 42' 54.290" उ	69° 43' 9.108" पू
18	बरदा पारिस्थितिक संवेदी जोन18	दक्षिण पश्चिम	21° 43' 59.864" उ	69° 42' 5.944" पू
19	बरदा पारिस्थितिक संवेदी जोन19	दक्षिण पश्चिम	21° 44' 46.853" उ	69° 41' 34.939" पू
20	बरदा पारिस्थितिक संवेदी जोन20	दक्षिण पश्चिम	21° 46' 13.857" उ	69° 40' 19.523" पू
21	बरदा पारिस्थितिक संवेदी जोन21	उत्तर पश्चिम	21° 48' 58.335" उ	69° 39' 46.523" पू
22	बरदा पारिस्थितिक संवेदी जोन22	उत्तर पश्चिम	21° 49' 43.135" उ	69° 40' 19.212" पू
23	बरदा पारिस्थितिक संवेदी जोन23	उत्तर पश्चिम	21° 50' 15.841" उ	69° 41' 21.005" पू
24	बरदा पारिस्थितिक संवेदी जोन24	उत्तर पश्चिम	21° 51' 32.543" उ	69° 42' 13.930" पू

25	बरदा पारिस्थितिक संवेदी जोन25	उत्तर पश्चिम	21° 53' 4.466" उ	69° 42' 42.694" पू
26	बरदा पारिस्थितिक संवेदी जोन26	उत्तर	21° 53' 33.071" उ	69° 44' 28.853" पू

## उपाबंध-IV

## पारिस्थितिक संवेदी जोन में ग्रामों के भू-निर्देशांक

क्र.सं	ग्रामों के नाम	तालुक	जिला	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारूप)
1	भावनेश्वर	भानवाड़	देवभूमि द्वारका	21° 53' 15.121" उ	69° 41' 7.980" पू
2	धेवर	भानवाड़	देवभूमि द्वारका	21° 53' 30.355" उ	69° 42' 21.307" पू
3	तिमबढडी	भानवाड़	देवभूमि द्वारका	21° 53' 26.190" उ	69° 47' 42.007" पू
4	धुमली	भानवाड़	देवभूमि द्वारका	21° 53' 5.354" उ	69° 45' 50.283" पू
5	मोखाना	भानवाड़	देवभूमि द्वारका	21° 53' 54.877" उ	69° 44' 27.258" पू
6	पछाथर	भानवाड़	देवभूमि द्वारका	21° 51' 58.770" उ	69° 41' 16.719" पू
7	रानपर	भानवाड़	देवभूमि द्वारका	21° 50' 18.481" उ	69° 40' 46.151" पू
8	पछतारदी	भानवाड़	देवभूमि द्वारका	21° 51' 32.514" उ	69° 40' 54.816" पू
9	मोदपर	भानवाड़	देवभूमि द्वारका	21° 51' 5.032" उ	69° 48' 46.372" पू
10	जमबुसर	भानवाड़	देवभूमि द्वारका	21° 49' 46.835" उ	69° 51' 7.377" पू
11	वंशजलिया	जमजोधपुर	जामनगर	21° 48' 2.063" उ	69° 52' 16.875" पू
12	तरसाई	जमजोधपुर	जामनगर	21° 46' 21.920" उ	69° 50' 10.963" पू
13	बवालवाव	पोरबन्दर	पोरबन्दर	21° 48' 21.596" उ	69° 38' 54.488" पू
14	गोधाना	पोरबन्दर	पोरबन्दर	21° 47' 14.130" उ	69° 39' 13.826" पू
15	जिनजरका	पोरबन्दर	पोरबन्दर	21° 44' 38.649" उ	69° 40' 13.206" पू
16	हनुमानगढ़	रनावाव	पोरबन्दर	21° 47' 28.549" उ	69° 48' 5.105" पू
17	बिलेश्वर	रनावाव	पोरबन्दर	21° 46' 51.650" उ	69° 46' 46.292" पू
18	खम्भाना	रनावाव	पोरबन्दर	21° 45' 7.620" उ	69° 46' 38.877" पू
19	बोरदी,	रनावाव	पोरबन्दर	21° 43' 45.722" उ	69° 49' 5.629" पू
20	अदियाना सीटी	रनावाव	पोरबन्दर	21° 42' 57.673" उ	69° 41' 24.848" पू



उपाबंध-V**पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान**

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**New Delhi, the 28<sup>th</sup> April, 2017

**S.O. 1365(E).**— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2991, dated 2<sup>nd</sup> November, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

**AND whereas,** no comments/ objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

**WHEREAS,** the Barda Wildlife Sanctuary located in Porbandar, Jamnagar and Devbhoomi Dwarka Districts in the State of Gujarat and lying between latitudes 21° 40'N and 21° 55'N and longitudes between 69° 40'E and 69° 55'E is spread over an area of 192.31 square kilometres

**AND WHEREAS,** the Barda Wildlife Sanctuary is one of the richest and compact bio-diversity patches covered on all sides by good quality dry deciduous miscellaneous forests, dry thorn forest, shrub lands and wetland forests along with bamboo patches dotted in between and it maintains rich bio-diversity comprising 759 species of 430 genera of tree, herbs, shrubs and climber species, 22 mammal species which include some rare species, 26 species of reptiles, 4 species of amphibians, 55 species of butterfly, more than 3000 species of insects and more than 269 species of birds;

**AND WHEREAS,** there are main flora's in the sanctuary Sitaphal (*Annona squamosa*), Umda (*Miliusa tomentosa*), Ashok (*Polyalthia longifolia*), Venivel (*Cissampelos pareira linn*), Vevdi, Vadhi (*Cocculus hirsutus*), Orap, Parwat (*Cocculus pendulus*), Karipat (*Cyclea peltata*), Galo vel (*Tinospora glabra*), Poyanu, kama (*Nymphaea*

*pubescens*), Darudi (*Argemone mexicana linn*), Halim, Ashal (*Lepidium sativum linn*), Khordu (*Cadaba fruticosa*), Ghuti, Thikar (*Capparis grandis linn.*), Kantharo (*Cpparis sepiaria linn.*), Tanmani (*Cleome gynandra.*), Bethi Talvan (*Cleome simplicifolia*), Pili Talvan

(*Cleome viscosa linn.*), Varno, Vayvar (*Crateva tapia*), Dolo Katkiya (*Maerua oblongifolia*), Lodri (*Lflacourtia indica*), Pili Bhoysan (*Polygala chinensis linn.*) and main fauna is Nilgai (*Boselaphustragocamelus*), Wild Boar (*Sus scrofa*), Small Indian Civet (*Viverricula indica*), Common Mongoose (*Herpestes edwardsi*), Striped Hyena (*Hyaena hyaena*), Wolf (*Canis lupus*), Jackal (*Canis aureus*), Indian Fox (*Vulpes bengalensis*), Ratel (*Mellivora capensis*), Leopard (*Panthera pardus*), Jungle Cat (*Felis chaus*), Indian Hare (*Lepus nigricollis*), Five-striped Palm Squirrel (*Funcambulus pennanti*), Porcupine (*Hystrix indica*), Spiny Field Mouse (*Mus platythrix*), House Rat (*Rattus rattus*), Common Langur (*Presbytis entellus*) etc;

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Barda Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view by habitat management aiming at improving and preserving the genetic resources of Barda Wildlife Sanctuary, reintroduction and rehabilitation of local species through breeding programmes, promote environmental education and ecological research and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

**NOW THEREFORE**, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area upto an extent of 4.76 kilometers around the boundary of Barda Wildlife Sanctuary in the State of Gujarat as the Barda Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

**1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.**—(1) The Eco-sensitive Zone shall be with a peripheral area of 65.58 square kilometers with an extent up to 4.76 kilometers around the boundary of Barda Wildlife Sanctuary.

(2) The boundary description of the Barda Wildlife Sanctuary is appended as **Annexure-I** and the map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-II**.

(3) The details of Global Positioning System coordinates of the points along the boundary of the Barda Wildlife Sanctuary and its eco-sensitive zone are appended as **Annexure-III**.

(4) The list of 20 villages falling in Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-IV**.

**2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.**- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

- (i) Environment;
- (ii) Forest and Wildlife;
- (iii) Agriculture;
- (iv) Revenue,

- (v) Urban Development;
- (vi) Tourism;
- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal ;
- (x) Panchayati Raj ; and
- (xi) Public Works Department.

(5) With a view to conserve the protected area, the State Government needs to obtain closure plan from the miners adjacent to protected area and expenditure involved in it shall be met under the Corporate Social Responsibility activity. No further mining lease and renewal to be awarded by State Government after its expiry. Based on the closure plan, area to be converted into Biodiversity parks after the closure of mining lease.

(6) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.

(10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.**—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-**

- (a) The State Government shall not allow renewal of mines adjacent to the protected area in the direction of West, North-West and West-Southern and after their closer, plan to be drawn for development of Bio-diversity Park.
- (b) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the Relevant State Laws and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as;-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;

- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities and given under para 7:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the Relevant State Laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (c) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural Springs.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism/ Eco-tourism.**- (a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism.

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) **Natural Heritage.** —All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

- (5) **Man-made heritage sites.**—Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.**—Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.
- (7) **Air pollution.**—Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**—Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.
- (9) **Solid wastes.**—Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (i) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 .
- (ii) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.
- (iii) No burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.**—Bio medical waste management shall be as under:-
- (i) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.
- (ii) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.
- (11) **Vehicular traffic.**—The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (12) **Vehicular Pollution.**—Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.
- (13) **Plastic Waste Management.**—The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016.
- (14) **Construction and Demolition Waste Management.**—The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

**(15) E-waste.**—The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

**(16) Industrial Units.**—(i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

**(17) Protection of Hill Slopes.**—The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

**(18)** The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

#### **4. Prohibited, Regulated and Promoted Activities.—**

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone Notification, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

**TABLE**

Sl. No.	Activity	Remarks
1	2	3
<b>A. Prohibited Activities:</b>		
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities.  (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 04 August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No. 202 of 1995 and dated the 21 April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No. 435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste is permitted within the Eco sensitive Zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. is Prohibited.
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
8.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
<b>B. Regulated Activities:</b>		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities:  Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:  Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as; (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (iv) promoted activities listed in this Notification.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries termed as White Category as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.

13.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
15.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
17.	Erection of electrical and telecommunication towers related infrastructure.	Promote underground cabling.
18.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
19.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
20.	Commercial extraction of surface and ground water .	Regulated under applicable law.
21.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
22.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
23.	Air, Noise and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
24.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
25.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws
26.	Security Forces Camp.	Regulated under applicable laws.
27.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone:  Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive using 100% imported wood stock.
28.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities.	Regulated under applicable laws.
29.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
<b>C. Promoted Activities:</b>		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.



38.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness .	Shall be actively promoted.

### 5. Monitoring Committee.-

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

- |        |  |                   |
|--------|--|-------------------|
| (i)    | Collector, Porbandar   | Chairman;         |
| (ii)   | Regional officer Gujarat state pollution control board, Porbandar  | Member;           |
| (iii)  | Senior town planner of the area  | Member;           |
| (iv)   | Representative of the department of Forests and Environment,<br>Government of Gujarat  | Member;           |
| (iv)   | A representative of Non-Governmental organisations working in the field<br>of environment to be nominated by the State Government for a period of<br>three year in each case | Member;           |
| (vi)   | One expert in the area of Ecology and Environment to be nominated by the<br>State Government for a period of three year in each case   | Member;           |
| (vii)  | Member State Biodiversity Board  | Member;           |
| (viii) | Deputy Conservator of Forests, Porbandar (Incharge of Barda WLS)   | Member Secretary. |

### 6. Terms of Reference:

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
- (2) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the CPCB for “classification of Industries, 2016”.
- (3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the monitoring committee based on site-specific conditions and referred to concerned Regulatory Authority.
- (4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31<sup>st</sup> March of every year by 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure V**.
- (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No. 25/88/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

#### ANNEXURE-I

##### A. BOUNDARY DESCRIPTION OF BARDA WILDLIFE SANCTUARY


The Barda hills form a compact block of about 215 Km.<sup>2</sup> out of which 192.31 Km.<sup>2</sup> is declared as Sanctuary. This sanctuary bound on the north by the revenue areas of Bhanvad Taluka, on the east by the Bhanvad and Bileshwar villages, on the South by Rana Barda and Ranavav village and in the west by Adityana and Pachhtar villages. This forest area was once connected with the Alech hills of Jam-Jodhpur towards eastern side.

##### B. BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BARDA WILDLIFE SANCTUARY

North	Revenue village boundary of Mokhana village
North- East	Revenue village boundary of Modpar village
East	Revenue village boundary of Hanumangarh and Bileshwar
South-East	Revenue village boundary of Bordi and Ashiyapat
South	Revenue village boundary of Ranavav (CT)
South-West	Revenue village boundary of Adityana (CT)
West	Revenue village boundary of Ghodhana
North-West	Revenue village boundary of Pachatardi and Ranpar.

Annexure II

Map of Eco-sensitive Zone of Barda Wildlife Sanctuary along with latitude and longitude



## Annexure III

**TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations along the boundary of Barda Wildlife Sanctuary as shown on Map**

<b>GEO CO-ORDINATES OF BARDA WILDLIFE SANCTUARY</b>				
<b>Sr.No.</b>	<b>Identification of Prominent Points</b>	<b>LOCATION /DIRECTION of Prominent Points</b>	<b>LATITUDE (N) DMS</b>	<b>LONGITUDE (E) DMS</b>
1	WLS 01	NORTH	E69° 44' 40.277"	N21° 53' 7.360"
2	WLS 02	NE	E69° 48' 8.068"	N21° 51' 13.965"
3	WLS 03	EAST	E69° 48' 59.382"	N21° 47' 40.534"
4	WLS 04	SOUTH	E69° 45' 0.743"	N21° 42' 42.013"
5	WLS 05	SW	E69° 42' 11.512"	N21° 44' 15.652"
6	WLS 06	WEST	E69° 39' 46.836"	N21° 47' 15.171"
7	WLS 07	NW	E69° 42' 14.513"	N21° 50' 20.645"
8	WLS 08	NW	E69° 42' 31.183"	N21° 52' 17.784"

**Table B: Latitude-Longitude of Prominent Locations along the boundary of Eco-sensitive Zone of Barda Wildlife Sanctuary as shown on Map**

<b>GEO CO-ORDINATES OF ESZ OF BARDA WILDLIFE SANCTUARY</b>				
<b>Sr.No.</b>	<b>Identification of Prominent Points</b>	<b>LOCATION /DIRECTIO N of Prominent Points</b>	<b>LATITUDE (N) DMS</b>	<b>LONGITUDE (E) DMS</b>
1	BESZ01	NE	21° 53' 25.007" N	69° 45' 6.999" E
2	BESZ02	NE	21° 53' 38.419" N	69° 46' 57.056" E
3	BESZ03	NE	21° 52' 12.604" N	69° 48' 6.459" E
4	BESZ04	NE	21° 50' 13.422" N	69° 49' 47.852" E
5	BESZ05	NE	21° 49' 5.138" N	69° 49' 58.229" E
6	BESZ06	EAST	21° 47' 24.764" N	69° 49' 3.599" E
7	BESZ07	SE	21° 46' 39.634" N	69° 48' 49.445" E
8	BESZ08	SE	21° 44' 37.441" N	69° 49' 43.858" E
9	BESZ09	SE	21° 43' 48.850" N	69° 48' 58.438" E
10	BESZ10	SE	21° 46' 48.044" N	69° 46' 29.704" E
11	BESZ11	SE	21° 45' 13.691" N	69° 46' 26.555" E
12	BESZ12	SE	21° 42' 19.484" N	69° 47' 15.528" E
13	BESZ13	SE	21° 42' 39.783" N	69° 50' 15.541" E
14	BESZ14	SE	21° 41' 50.107" N	69° 49' 38.557" E
15	BESZ15	SE	21° 42' 5.371" N	69° 45' 55.039" E
16	BESZ16	SW	21° 41' 54.325" N	69° 43' 55.232" E
17	BESZ17	SW	21° 42' 54.290" N	69° 43' 9.108" E
18	BESZ18	SW	21° 43' 59.864" N	69° 42' 5.944" E
19	BESZ19	SW	21° 44' 46.853" N	69° 41' 34.939" E
20	BESZ20	SW	21° 46' 13.857" N	69° 40' 19.523" E
21	BESZ21	NW	21° 48' 58.335" N	69° 39' 46.523" E
22	BESZ22	NW	21° 49' 43.135" N	69° 40' 19.212" E
23	BESZ23	NW	21° 50' 15.841" N	69° 41' 21.005" E
24	BESZ24	NW	21° 51' 32.543" N	69° 42' 13.930" E
25	BESZ25	NW	21° 53' 4.466" N	69° 42' 42.694" E

26	BESZ26	NORTH	21° 53' 33.071" N	69° 44' 28.853" E
----	--------	-------	-------------------	-------------------

**ANNEXURE-IV****List of Villages falling within the Eco-sensitive Zone along with Geo-coordinates.**

Sr.No	Village Name	Taluka	District	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	Bhavaneshvar	Bhanvad	DevbhumiDwarka	21° 53' 15.121" N	69° 41' 7.980" E
2	Dhebar	Bhanvad	DevbhumiDwarka	21° 53' 30.355" N	69° 42' 21.307" E
3	Timbdi	Bhanvad	DevbhumiDwarka	21° 53' 26.190" N	69° 47' 42.007" E
4	Ghumli	Bhanvad	DevbhumiDwarka	21° 53' 5.354" N	69° 45' 50.283" E
5	Mokhana	Bhanvad	DevbhumiDwarka	21° 53' 54.877" N	69° 44' 27.258" E
6	Pachhatar	Bhanvad	DevbhumiDwarka	21° 51' 58.770" N	69° 41' 16.719" E
7	Ranpar	Bhanvad	DevbhumiDwarka	21° 50' 18.481" N	69° 40' 46.151" E
8	Pachhatardi	Bhanvad	DevbhumiDwarka	21° 51' 32.514" N	69° 40' 54.816" E
9	Modpar	Bhanvad	DevbhumiDwarka	21° 51' 5.032" N	69° 48' 46.372" E
10	Jambusar	Bhanvad	DevbhumiDwarka	21° 49' 46.835" N	69° 51' 7.377" E
11	Vansjaliya	Jamjodhpur	Jamnagar	21° 48' 2.063" N	69° 52' 16.875" E
12	Tarsai	Jamjodhpur	Jamnagar	21° 46' 21.920" N	69° 50' 10.963" E
13	Bavalvav	Porbandar	Porbandar	21° 48' 21.596" N	69° 38' 54.488" E
14	Godhana	Porbandar	Porbandar	21° 47' 14.130" N	69° 39' 13.826" E
15	Zinjarka	Porbandar	Porbandar	21° 44' 38.649" N	69° 40' 13.206" E
16	Hanumangadh	Ranavav	Porbandar	21° 47' 28.549" N	69° 48' 5.105" E
17	Bileshwar	Ranavav	Porbandar	21° 46' 51.650" N	69° 46' 46.292" E
18	Khambhala	Ranavav	Porbandar	21° 45' 7.620" N	69° 46' 38.877" E
19	Bordi	Ranavav	Porbandar	21° 43' 45.722" N	69° 49' 5.629" E
20	Adityana CT	Ranavav	Porbandar	21° 42' 57.673" N	69° 41' 24.848" E

**Annexure V****Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.**

1. Number and date of Meetings :
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan :
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance: